UPHR040125632026

Presented on : 07-04-2026
Registered on : 07-04-2026
Decided on : 17-06-2026
Duration : 0 years, 2 months, 10 days

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई।

प्रकीर्ण वाद संख्या-924/2026

प्रतिक्षा बाजपेयी बनाम धर्मवीर सिंह चौहान आदि

दिनांक-17.06.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी प्रतिक्षा बाजपेयी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण धरमवीर सिंह चौहान उर्फ मोहित इत्यादि कुल दो व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अं० धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाये कि वह प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के आलोक में विपक्षीगण के विरुद्ध समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर उसकी विवेचना करें।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त तथ्यो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे कथन किया गया कि दिनांक 29.03.2026 को विपक्षी संख्या 1 उसके घर में नशे में घुस आया और प्रार्थिनी को मारने पीटने लगा और जबरन बुरा काम करने का प्रयास किया। जब प्रार्थिनी ने बचने का प्रयास किया तब विपक्षी सं० 1 ने फोन करके विपक्षी सं० 2 को बुला लिया तब दोनों लोग मिलकर प्रार्थिनी तथा प्रार्थिनी की मां का मारने पीटने लगे। जब प्रार्थिनी के बच्चे चिल्लाने लगे। तब विपक्षीगण बच्चों को भी मारने पीटने लगे। प्रार्थिनी बच्चो की मार की डर की वजह से खुद मार खाती रही। प्रार्थिनी की मां किसी तरह वहां से भागकर थाने गई तब वहां से पुलिस वालों को साथ में बुलाकर ले आयी। विपक्षी सं० 2 मौके पर से किसी तरह भाग गया किन्तु विपक्षी सं० 1 मौके पर पकड़ा गया। पुलिस मौके पर से पकड़कर विपक्षी सं० 1 को रास्ते में जाकर छोड़ दिया। विपक्षीगण सुबह से ही रोज रास्ते में धमकी देते हैं, कि उसे नहीं छोड़ेंगें, जान से मार देंगे। विपक्षी सं०1 ने किसी तरह से प्रार्थिनी का अश्लील वीडियों बना लिया है जिस वीडियों से प्रार्थिनी को ब्लैकमेल करता रहता है और प्रार्थिनी से कई बार पैसे ले चुका है और सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकियां भी देता है। विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थिनी के पति के पास भी विडियों भेज दिये थे जिनसे पति ने प्रार्थिनी को घर से भगा दिया था। प्रार्थिनी तब से अपनी माँ के पास अपने बच्चों के साथ रहती है। विपक्षी सं० 1 से प्रार्थिनी व बच्चों को जान माल का सख्त खतरा पैदा हो गया है। तब से प्रार्थिनी कई बार थाने गई, कई प्रार्थना पत्र दिये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब मजबूरनवश न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मूल रूप से उसके साथ मारपीट करने तथा जबरन बुरा काम का प्रयास करने के संबंध में प्रस्तुत किया है। आवेदिका के कथनानुसार दिनांक 29.03.2026 को विपक्षी संख्या 1 शराब के नशे में उसके घर में घुस आया और मारने पीटने लगे। जब आवेदिका ने बचने का प्रयास किया तो विपक्षी सं 1 ने विपक्षी सं 2 को भी बुला लिया। तब दोनों विपक्षी, आवेदिका तथा उसकी माँ को मारने पीटने लगे। लेकिन आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी व उसके मध्य कैसा विवाद है, घटना कितने बजे की है, इस बात को कोई भी उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। आवेदिका द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी सं 1 व उसके मध्य हुए विवाद के दौरान पुलिस वाले विपक्षी सं 1 को मौके पर पकड़कर ले गया थे तथा रास्ते में जाकर छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस आख्या में विवेचक द्वारा उक्त के संबंध में कथन किया गया है कि आवेदिका और विपक्षी के मध्य हुए विवाद के दौरान पुलिस बल मौके पर गयी थी तथा विपक्षी को हिरासत में लेकर थाना कोतवाली शहर हरदोई पर लाई थी तथा शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विपक्षीगणों का चालान किया गया था। लेकिन

Digitally signed by RICHA VERMA
Date: 2026.06.19 12:12:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी पुलिस द्वारा की गयी कृत कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका न्यायालय स्वच्छ आचरण से नहीं आयी है। आवेदिका ने विपक्षीगण द्वारा रास्ते में धमकी दिये जाने का कथन किया है। लेकिन धमकी किस जगह दी जा रही थी, किनके समक्ष दी गयी। इसका उल्लेख भी आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा अग्रेत्तर अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विपक्षी सं 1 ने किसी तरह आवेदिका का अश्लील वीडियों बना लिया जिस वीडियों से आवेदिका को ब्लैकमेल करता रहता है और सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी भी देता है। लेकिन आवेदिका द्वारा उक्त अश्लील विडियो के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि उक्त अश्लील वीडियो किस प्रकार बनाया गया, किस चीज से संबंधित है, या किस उद्देश्य का था। उक्त के संबंध में आवेदिका का प्रार्थना पत्र मौन है। मात्र औपचारिक रूप से अश्लील वीडियो बनाने का कथन किया गया है। किन्तु इतने संवेदनशील आक्षेप के संबंध में आवेदिका द्वारा कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किया गया। यहां इस स्तर पर पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या का उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा।

पुलिस द्वारा जांच आख्या में प्रस्तावर कथन किया गया है कि आवेदिका व विपक्षी संख्या 1 दोनों पूर्व में नेक्सा शोरूम निकट लखनऊ चुंगी हरदोई में नौकरी करते थे। नौकरी करने के दौरान आवेदिका तथा विपक्षी संख्या 1 के मध्य आपस में कहासुनी हुई थी। इसी कहासुनी को लेकर पुनः दिनांक 29.03.2026 को आपस में वाद विवाद हुआ था। अन्य आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई है। आवेदिका और विपक्षीगण के मध्य वाद विवाद के दौरान पुलिस बल मौके पर गयी थी तथा विपक्षी को हिरासत में लेकर थाना कोतवाली शहर पर लायी थी तथा शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी धरमवीर सिंह चौहान व इन्द्रवीर सिंह चौहान का चालान अंतर्गत धारा-170, 126, 135 बी.एन.एस. में दिनांक 30.03.2026 माननीय न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट हरदोई को किया गया। आवेदिका के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित प्रकरण की जांच में लगाये गये तमामी आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुई है। आवेदिका द्वारा विपक्षीगणों के विरूद्ध तमामी आरोप मात्र अनैतिक आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पुलिस जांच आख्या के कथन आपस में विरोधाभाषी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तवव अन्य बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य क्रि0 अपील संख्या-780/2012 मे यह अवधारित किया है कि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० पर आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को अपना न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग करना चाहिये तथा मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र मे कहे गये कथनो की वास्तविकता तथा सत्यवादिता का भी पता लगाना चाहिये। अतः मामले के तथ्यो व परिस्थितियो मे प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी **प्रतीक्षा बाजपेयी** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 17.06.2026

(ऋचा वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हरदोई।
I.D.-UP02102